संख्या-43/2015/166जेपीआर/22-3-15-800(177)/2012

प्रेषक,

आर0के0 द्विवेदी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिला मजिस्ट्रेट,
गोरखपुर।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 ***लखनऊ: दिनांक: 25 फरवरी, 2015***

विषय- जिला कारागार, गोरखपुर के बंदी रमाकान्त यादव पुत्र श्री राजदेव, निवासी-ग्राम-पचौंहा, थाना-सिकरीगंज (वर्तमान थाना-उरूवा), जिला-गोरखपुर को पैरोल वृद्धि प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, गोरखपुर के बंदी रमाकान्त यादव पुत्र श्री राजदेव, निवासी-ग्राम-पचौंहा, थाना-सिकरीगंज (वर्तमान थाना-उरूवा), जिला-गोरखपुर को शासनादेश संख्या-22/2015/285जेएल/22-3-15-800(177)/2012, दिनांक 29-01-2015 के क्रम में **एक माह की पैरोल वृद्धि** स्वीकृत की जाती है। शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

भवदीय,

(आर0के0 द्विवेदी)
उप सचिव।

संख्या-43/2015/166जेपीआर(1)/22-3-15-उक्तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
2- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर।
3- वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, गोरखपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि बंदी की रिहाई की सूचना शासन को उपलब्ध न कराये जाने के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करने का कष्ट करें।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0के0 द्विवेदी)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in